

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-2/सेवानिवृत्ति/2018/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्यामलता खींची, एलएचवी	सीएमएचओ जोधपुर	27.01.1958	31.01.2018
2	फिलोमीना टी0, एलएचवी	सीएमएचओ पाली	08.02.1958	28.02.2018
3	राधामणि अम्मा के.वी. एलएचवी	सीएमएचओ उदयपुर	29.03.1958	31.03.2018
4	उषामणी टी.एन. एलएचवी	सीएमएचओ झुन्झुनू	25.05.1958	31.05.2018
5	कमला सोनी, एलएचवी	सीएमएचओ जयपुर-प्रथम	01.08.1958	31.07.2018
6	साराम्मा वी.जे. एलएचवी	सीएमएचओ जालोर	20.07.1958	31.07.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-2/सेवानिवृत्ति/2018/ 51

दिनांक:- 11-1-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/पाली/उदयपुर/झुन्झुनू/जयपुर-प्रथम/ जालोर।
4. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प0क0) जयपुर-प्रथम।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भोपालगढ(जोधपुर)/खारची(पाली)/मावली(उदयपुर) /सायला(जालोर)।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगड- झुन्झुनू।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर